सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/ATY-1801/BR/1/2024-APCR-RU-IV दिनांक : 27.10.2025

सेवा मे,

1 **कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,**
जिला रणमी चम्पापरिश्च -,
कार्यालय जिलापदाधिकारी,
समाहरणालय भवन,
परिश्चमी चम्पारण, बिहार -845401
Email Id: dm-bettiah.bih@nic.in

2 **पुलिस अधीक्षक,**
जिला -बगहा,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय
बेतिया वाल्मिकीनगर रोड -, गंडक कॉलोनी,
सुखबन, बगहा, बिहार 845101
Email Id: sp-bagaha-bih@nic.in.

विषय: श्री रामनारायण शाह गौंड, पश्चिमी चंपारण की दुकान को तोड़ने तथा उनको एवं उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट तथा पुलिस द्वारा रंगदारी अधिनियम के तहत कस्टडी में लेने से संबंधित।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई / की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

**यो. प्र/ यादव . Y. P. Yadav**
**उप सचिव / Deputy Secretary**
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

**श्री रामनारायन शाह गोण्ड,**
Ramnagar,
West Champaran,
वार्ड नंबर - 5
बिहार -845106
मो .न:. 7091350879

PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

**File No. : NCST/ATY-1801/BR/1/2024-APCR**

**श्री रामनारायण शाह गौंड, पश्चिमी चंपारण के उनके दुकान को तोड़ने तथा उनको तथा उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट तथा पुलिस द्वारा रंगदारी अधिनीयम के तहत कस्टडी में लेने से संबंधित मामले में डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2025 को अपराह्न 03:20 बजे आयोग के मुख्यालय लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सम्पन्न सिटिंग के कार्यवृत।**

सिटिंग की तिथि एवं समय : 18.09.2025 को दोपहर 03:20 बजे
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-। अनुसार।

श्री रामनारायण शाह गौड, पश्चिमी चंपारण का एक दिनांक रहित शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि पश्चिमी चंपारण में स्थित उनकी एक दुकान की मरम्मत का कार्य वे करवा रहे थे, किंतु पड़ोस के कुछ लोगों द्वारा उनकी दीवार गिरा दी गई और उनके विरुद्ध षड्यंत्र करके रंगदारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवा दिया गया। वे आयोग से न्याय, क्षतिपूर्ति तथा अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

2. इस संदर्भ में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु आयोग द्वारा जिला पदाधिकारी, जिला – पश्चिमि चम्पारण, बिहार पुलिस अधीक्षक, जिला – पश्चिमि चम्पारण, बिहार को नोटिस दिनांक 23/08/2024 भेजा गया **।**

3. आयोग के नोटिस के संबन्ध में पुलिस अधीक्षक कार्यलय से प्राप्त उत्तर पत्रांक 2898/सा.शा दिनांक 12.12.2024 आयोग में प्राप्त हुआ। प्राप्त उत्तर अभ्यावेदक को जानकारी के लिए अग्रेषित किया गया। अभ्यावेदक ने rejoinder के माध्यम से प्राप्त उत्तर पर असहमति व्यक्त की ।

4. आयोग द्वारा मामले में दिनांक 26.03.2025 को सुनवाई रखी गई थी जो संबन्धित अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण सम्पन्न नहीं हुई। दिनांक 17.04.2025 को आयोग मुख्यालय में सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक पश्चिमी चंपारण व् प्रार्थी उपस्थित रहे । मामले में सुनवाई दौरान जिलाधिकारी व् जिला पुलिस अधीक्षक समस्त तथ्य आयोग के समक्ष रखे तथा बताया की सभी अपेक्षित कार्यवाही का नियमानुसार निष्पादन किया जा चूका है यद्यपि प्रार्थियों ने बताया की उसे आज भी धमकियाँ मिल रही है जिसपर जिलाधिकारी व् जिला पुलिस अधीक्षक ने उनकी सुरक्षा को लेकर आयोग को आश्वस्त किया है।

आशा लकड़ा

5. पिछली सुनवाई के सम्बंध में वांछित रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण आयोग द्वारा मामले में पुनः दिनांक 18.09.2025 को सुनवाई निर्धारित की गई । तदनुसार, सिटिंग नोटिस दिनांक 09.09.2025 को जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया गया ।

6. निर्धारित तिथि को आयोजित सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक, बगहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे, जबकि जिला पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण अनुपस्थित रहे। आवेदक भी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे।

7. सुनवाई के दौरान, पुलिस अधीक्षक, बगहा द्वारा सूचित किया गया कि अंचलाधिकारी, रामनगर एवं थाना प्रभारी रामनगर की उपस्थिति में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जाँच से स्पष्ट हुआ कि पूर्व में आवेदक का शिव कुमार सरावगी एवं उनके परिजनों के साथ जमीनी विवाद था, किंतु वर्तमान में आवेदक तथा उनके भाई ज्योति नारायण साह के दखल कब्जे में संबंधित भूमि पर दुकान एवं आवासीय घर स्थित हैं और किसी प्रकार का विवाद नहीं है। पूछताछ के क्रम में क्षेत्र के अनेक व्यक्तियों एवं स्वयं आवेदक ने भी यह स्वीकार किया कि आवेदक के घर के सामने से 40–45 वर्ष पूर्व से सरकारी नाला बना हुआ है, जिसकी सफाई नगर परिषद द्वारा समय-समय पर की जाती रही है तथा पूर्व में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी की गई थी। वर्तमान में उक्त भूमि, घर अथवा नाला को लेकर किसी प्रकार का विवाद या धमकी की स्थिति नहीं है। आवेदक ने स्वयं भी लिखित रूप से यह प्रमाणित किया है कि उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं है।

आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष यह अवगत कराया गया कि उन्हें अब भी निरंतर रूप से धमकियाँ दी जा रही हैं। उन्होंने एक नवीन घटना का जिक्र भी किया ।

सुनवाई उपरांत आयोग द्वारा इस प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसाएँ की जाती हैं:

(i) आवेदक संबंधित थाना में उनके साथ घटित नवीनतम घटना के संबंध में लिखित शिकायत प्रस्तुत करें, जिस पर पुलिस विभाग द्वारा प्रावधानानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

(ii) उक्त प्रकरण में की गई कार्रवाई का विस्तृत प्रतिवेदन एक माह की अवधि के भीतर आयोग में प्रेषित किया जाए। उसके पश्चात मामले को आयोग में बंद किया जाएगा ।

आशा लकड़ा
14/10/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/ATY-1801/BR/1/2024-APCR-RU-IV

Sitting to be held on **18.09.2025 at 03:20 P.M** **श्री रामनारायण शाह गौंड**, पश्चिमी चंपारण की दुकान को तोड़ने तथा उनको एवं उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट तथा पुलिस द्वारा रंगदारी अधिनियम के तहत कस्टडी में लेने से संबंधित।

| Sl. No. | Name and Designation | Address & Phone No. | Signature |
|---|---|---|---|
| I | **National Commission for Scheduled Tribes** | | |
| 1. | Dr. Asha Lakra<br>Hon'ble Member | In Chair | |
| 2. | Shri Yogendra Prasad Yadav<br>Deputy Secretary | | |
| 3. | Shri H.R. Meena<br>Consultant | | |
| 4 | Shri Rahul<br>Investigator | | |
| 5. | Ms. Riya<br>Investigator | | |
| 6. | Shri Rahul Yadav<br>Legal Consultant | | |
| 7. | | | |
| II | **Officers from O/o Collector, Paschim Champaran** | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| III | **Officers from O/o Superintendent of Police, Bagaha** | | |
| 1. | V.C | | |
| 2. | | | |
| 3 | | | |
| 4. | | | |
| IV | **Petitioners** | | |
| | Moti lal Sah | 7091350879 | Moti lal Sah |
| | रामनारायण साह गोंड | | |
| | | | |